



अध्याय III
वाहनों पर कर

अध्याय III: वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989; बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के अनुसार करता है। विभाग का नेतृत्व सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव और विभाग के शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त की सहायता दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों¹ तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें मोटर वाहन निरीक्षक सहायता करते हैं। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है और मोटर वाहनों का निबंधन, करों व शुल्कों का आरोपण एवं संग्रहण तथा चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने का उत्तरदायित्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 49 इकाईयों में से सात² के अभिलेखों का नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा जाँच में करों का नहीं/कम वसूली, फीस, जुर्माना और अर्थदंड का अधिरोपण नहीं होना एवं अन्य अनियमितताओं में सन्निहित ₹ 83.33 करोड़ के मामले (55 अवलोकन) उजागर हुए। विवरणी तालिका 3.1 में दिखाया गया है।

तालिका 3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणियाँ	अवलोकनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	मोटर वाहन करों का नहीं और कम आरोपण	11	16.20
2	फीस, जुर्माना एवं अर्थदण्ड का अधिरोपण नहीं होना	13	15.81
3	अन्य मामले	31	51.32
कुल		55	83.33

2021-22 के मामलों और पहले के वर्षों के मामलों के जवाब अप्राप्त थे (मार्च 2023)।

3.3 वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं होने के कारण जाँच शुल्क एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण शुल्क का वसूली न होना

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी 2017 और मार्च 2022 के बीच 20,189 वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण सुनिश्चित नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ (जाँच शुल्क: ₹ 86.94 लाख एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण शुल्क: ₹ 40.38 लाख) की वसूली नहीं हुआ।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988, की धारा 56 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, के नियम 62 के अनुसार एक परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं रखता है। सड़क परिवहन

¹ भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और सहरसा।

² जिला परिवहन कार्यालय : औरंगाबाद, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी और पटना।

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना (नवम्बर 2018) के अनुसार एक नये पंजीकृत वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र दो वर्षों के लिए वैध है। आठ वर्ष तक के पुराने वाहनों के लिए प्रत्येक दो वर्ष के बाद और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए प्रत्येक वर्ष इसे नवीनीकृत कराना आवश्यक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के तहत सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण शुल्क ₹ 200 और तिपहिया वाहनों के साथ-साथ हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹ 400 एवं भारी वाहनों के लिए ₹ 600 निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा ने (अप्रैल 2021 और मई 2022 के मध्य), परिवहन वाहनों (तिपहिया, हल्के माल वाहन, मैक्सी/कैब, ई-रिक्शा, माल गाड़ी, ट्रैक्टर और बस) के संबंध में आठ जिला परिवहन कार्यालयों³ में वाहन डेटाबेस में वाहन, कर और फिटनेस तालिका के विवरणों की जाँच की। जाँच के दौरान यह पाया गया कि 43,196 नमूना-जाँचित वाहनों में से 20,189 वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र (जनवरी 2017 और मार्च 2022 के मध्य) के थे, हालाँकि अन्य देय कर वसूले गये थे। इन मामलों में फिटनेस वैधता की समाप्ति 16 से 1,946 दिनों के बीच थी। वाहन सॉफ्टवेयर में वाहन मालिकों को अयोग्य वाहनों के लिए करों का भुगतान करने और परमिट जारी/नवीनीकरण करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि वाहनों के फिटनेस की समाप्ति के संबंध में वाहन सॉफ्टवेयर में जानकारी उपलब्ध थी, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा अयोग्य वाहनों का परिचालन रोकने के लिए विभाग के प्रवर्तन स्कंध को ऐसे वाहनों की सूची नहीं दी गयी। इस प्रकार, सरकार ₹ 1.27 करोड़ (परीक्षण शुल्क: ₹ 86.94 लाख और फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण शुल्क: ₹ 40.38 लाख) के राजस्व की वसूली नहीं कर सकी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अयोग्य वाहनों के परिचालन से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, इन जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो इन अयोग्य वाहनों के पंजीकरण/परमिट को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की और न ही उन्होंने इस संबंध में ऐसे वाहन मालिकों को कोई नोटिस जारी किया।

जवाब में, सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने बताया (जुलाई 2021 से मई 2022) कि मोटर वाहन निरीक्षकों को फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे और इन वाहनों की सूची आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन स्कंध को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा, ने जवाब दिया (जून 2022) कि जाँच के बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए कार्रवाई की जाएगी।

यह देखा गया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों/मोटर वाहन निरीक्षकों ने इन अयोग्य वाहनों को सड़क पर परिचालन से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की थी, या वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध जानकारी के आधार पर फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण शुल्क के कारण ऐसे वाहनों से राजस्व उगाही के लिए कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा, उन्होंने ऐसे वाहनों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं किया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022) था; हालाँकि जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

³ औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, नालंदा और समस्तीपुर।

3.4 एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए परिवहन वाहनों से अर्थदंड की वसूली नहीं किया जाना

581 दोषी वाहनों के संबंध में एकमुश्त कर के विलंब से भुगतान के लिए अर्थदंड की गणना/आरोपण न ही वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा की गई और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के अर्थदंड का आरोपण/वसूली नहीं किया गया।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, की धारा 23 के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994, के नियम 4(2) के अनुसार, नियत तिथि के भीतर कर का भुगतान न करने की स्थिति में देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक अर्थदंड (देय तिथि के 15 दिनों के बाद से शुरू) लगाने को प्रावधित करता है।

लेखापरीक्षा ने एकमुश्त कर⁴ भुगतान करने वाले परिवहन वाहनों (अर्थात् ट्रैक्टर/तिपहिया/हल्के माल वाहन/मोटर कैब/ई-रिक्शा) के संबंध में मई 2015 और अगस्त 2021 के बीच की अवधि के लिए नौ जिला परिवहन कार्यालयों⁵ में वाहन डेटाबेस में मालिक और कर तालिकाओं की जाँच की (अप्रैल 2021 से जुलाई 2022)। संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 61,817 नमूना-जाँचित वाहनों में से 581 वाहन मालिकों ने जून 2015 और मार्च 2021 के बीच 31 दिनों से 584 दिनों की अवधि के विलम्ब से अपना एकमुश्त-कर का भुगतान किया था। एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान पर उक्त नियम अनुसार अर्थदंड का प्रावधान है जिसे वाहन सॉफ्टवेयर में विधिवत परिभाषित किया गया था। हालाँकि, न तो वाहन 2.0 और न ही वाहन 4.0 (राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में शुरू किये गये वाहन 2.0 का अद्यतन संस्करण), एकमुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड की गणना और आरोपण कर सका। इसके अलावा, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड की गणना/आरोपण और वसूली नहीं की थी। फलस्वरूप, एकमुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए ₹ 1.05 करोड़ की राशि का अर्थदंड आरोपित या वसूल नहीं किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.2 में वर्णित है।

जवाब में, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2021 से जुलाई 2022) कि अर्थदंड की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किये जायेंगे। हालाँकि, वाहन 2.0 सॉफ्टवेयर द्वारा एकमुश्त कर के विलंबित भुगतान के लिए स्वचालित गणना और अर्थदंड नहीं लगाने का मुद्दा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन⁶ में उजागर किया गया था, विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की और यह समस्या वाहन 4.0 में भी बनी रही। विभाग ने एकमुश्त कर की गणना/आरोपण एवं इसके विलंबित भुगतान के लिए अर्थदंड की वसूली हेतु अन्य उचित वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की थी।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; हालाँकि जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

⁴ वाहन के पूरे जीवन काल के लिए लगाया गया कर जो उसके निबंधन की तिथि से देय है।

⁵ औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी।

⁶ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का राजस्व प्रक्षेत्र का प्रतिवेदन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-2) की कंडिका 4.5।

3.5 मोटर वाहन कर की वसूली नहीं होना

चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कर चूककर्ता सूची तैयार करने के लिए वाहन के कर तालिका की निगरानी या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा चूककर्ताओं को कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 22.16 करोड़ कर और अर्थदंड की वसूली नहीं हुई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 और 9 के अनुसार, एक निबंधित वाणिज्यिक मोटर वाहन के मालिक को संबंधित कर अधिकारी को वार्षिक मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है और, निवास/व्यवसाय में बदलाव की स्थिति में, वाहन मालिक नये कर पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है बशर्ते वह पिछले कर पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 का नियम 4(2) यह प्रावधित करता है कि यदि किसी वाहन पर 15 दिनों से अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं होता है तो कर पदाधिकारी देय कर के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक की दरों पर अर्थदंड आरोपित करेगा। बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधित) अधिनियम, 2016 की धारा 6(अ), देय वार्षिक मोटर वाहन करों के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकर लगाने को प्रावधित करता है (बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7(1) के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी वाहनों के मामलों को छोड़कर)।

लेखापरीक्षा ने नौ जिला परिवहन कार्यालयों⁷ में वाहन डेटाबेस में चूककर्ता, मालिक और कर तालिका की जाँच की (अप्रैल 2021 और मई 2022 के बीच) और पाया कि 6,761 परिवहन वाहनों (मार्च 2005 और दिसम्बर 2020 के बीच निबंधित) के मालिकों द्वारा वार्षिक/तिमाही करों का भुगतान किया जाना आवश्यक था। इनमें से 3,796 परिवहन वाहनों के मालिकों ने सितम्बर 2016 और मार्च 2022 के बीच की अवधि से संबंधित अपने मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था। इनमें से किसी भी मामले में, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आकस्मिक कारकों जैसे पता बदलने, निबंधन प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण या वाहनों का परिचालन नहीं किये जाने के साक्ष्य अभिलेख में नहीं पाये गये।

हालाँकि चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान न करने के संबंध में जानकारी, जिला परिवहन पदाधिकारियों के पास वाहन डेटाबेस में उपलब्ध थी, उन्होंने चूककर्ता की सूची में शामिल वाहन मालिकों से करों के आरोपण/वसूली करने के लिए वाहन की कर तालिका की निगरानी या समीक्षा नहीं की। इस प्रकार संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्ताओं को कोई मांग पत्र जारी किया और न ही इन वाहनों की सूची प्रवर्तन स्कंध को भेजी। परिणामस्वरूप, ₹ 22.16 करोड़ (सड़क कर: ₹ 7.36 करोड़, सड़क सुरक्षा उपकर: ₹ 7.36 लाख और अर्थदंड: ₹ 14.72 करोड़) की राशि का कर एवं अर्थदंड की वसूली नहीं हुई जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जवाब दिया (अप्रैल 2021 से जून 2022 के बीच) कि कर की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये जायेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद, ने कहा (जनवरी 2022) कि, हालाँकि चूककर्ताओं के खिलाफ

⁷ औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, नालंदा, पटना और समस्तीपुर।

नियमित रूप से मांग पत्र जारी किये जा रहे थे, लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में जाँच के बाद मांग पत्र जारी किये जायेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार, ने कहा (फरवरी 2022) कि इन वाहनों के मालिकों को पूर्व में मांग पत्र जारी किया जा चुका था और शेष राशि की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किये जायेंगे। हालाँकि, बयान को किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया था।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2022)। जवाब में बताया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के अधिकार क्षेत्र में चूककर्ता वाहन मालिकों से ₹ 1.15 करोड़ की वसूली कर ली गयी थी और शेष वाहन मालिकों को मांग-पत्र जारी कर दिया गया था। शेष आठ जिला परिवहन कार्यालयों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2023 तक)।

